छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण क्रमांक 791/2007*</u>

1.	**श्री हंसराज आ0 श्री रतनलाल** **ग्राम- डोंगीतराई, विकासखण्ड- रायगढ़** **जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	*जन सूचना अधिकारी/सरपंच,* **ग्राम- डोंगीतराई, विकासखण्ड- रायगढ़** **जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 11 जनवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री हंसराज ने जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 25.11.2005 को सरपंच, ग्राम पंचायत- डोंगीतराई, जिला-रायगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के समक्ष दिनांक 04.12.2006 को प्रथम अपील प्रस्तुत की, उक्त प्रथम अपील का निराकरण नही किये जाने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 20.08.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी सरपंच को पांच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 27.12.2007 को प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि पूर्व में सचिव दिनांक 09.08.2006 तक नहीं होने के कारण विलंब हुआ और बाद में जब माह नवंबर, 2006 में जानकारी दिये जाने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा लेने से इंकार किया गया और दिनांक 31.10.2007 को आयोग के समक्ष में जानकारी दिलवाई गई । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्रतिवेदन में बताया गया कि उन्होंने सुनवाई के लिए पत्र जारी किया था, किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित होने के कारण आदेश पारित नही किया जा सका । मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में समयावधि में उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई करके आदेश पारित किया जावे । प्रकरण में अपीलार्थी ने तर्क में बताया कि धोखे से उनके हस्ताक्षर करा लिये गये, इसका शपथ पत्र भी उन्होंने दिया है तथा दिनांक 10.05.2006 को उन्होंने शुल्क भी

जमा किया है और बाद में शुल्क की मॉग नही की गई । प्रति अपीलार्थी ने यह कहा कि जानकारी देने का प्रयास किया गया, किन्तु दिनांक 11.12.2006 को जानकारी लेने से इंकार किया और प्रथम अपील में अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ था तथा प्रति अपीलार्थी का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि धोखे से हस्ताक्षर करा लिये गये थे और पंचनामें पर जानकारी लेने से इंकार करना लिखा हो, अतः शास्ति की कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है तथा पूर्व में सचिव के नही होने का कारण बताया गया है, वह अपने स्थान पर उचित प्रतीत होता है, अतः प्रकरण में जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । चूंकि जानकारी दे दी गई है और उसके संबंध में अपीलार्थी ने कोई तर्क प्रस्तुत नही किया है, अतः यह प्रतीत होता है कि वे जानकारी से संतुष्ट है ।

3/ अतः उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी की उक्त अपील निरस्त की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त